

भारत सरकार  
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
उपभोक्ता मामले विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 360  
जिसका उत्तर मंगलवार, 19 नवंबर, 2019 को दिया जाएगा

आवश्यक वस्तुओं का मूल्य

360. श्री एस. वेंकटेशन:  
श्री दयाकर पसुनूरी:  
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:  
श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:  
एडवोकेट ए.एम. आरिफ:  
श्री एन. रेड्डप्पा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को देश में सब्जी, टमाटर, खाद्य तेल, विभिन्न दालों और प्याज सहित विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि/गिरावट की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वस्तु-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है और विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का क्या कारण है; और
- (ग) सरकार द्वारा भविष्य में बढ़ती खाद्य कीमतों को रोकने हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक उचित तंत्र के विकास द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री  
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): गत तीन वर्षों के दौरान सब्जियों, टमाटर, खाद्य तेलों तथा दालों सहित 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के अखिल भारतीय दैनिक औसत खुदरा मूल्य **अनुलग्नक** में दिए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य वस्तुओं के मूल्यों पर मांग और आपूर्ति में असमानता, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों तथा मौसम के कारण उत्पादन में कमी, परिवहन लागत में वृद्धि, भंडारण सुविधाओं, जमाखोरी तथा चोर-बाजारी आदि द्वारा उत्पन्न की गई कृत्रिम कमी जैसे आपूर्ति श्रृंखला दबावों के कारण प्रभाव पड़ता है।

(ग): सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने के लिए समय-समय पर भिन्न-भिन्न कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आयात शुल्क जैसे व्यापार तथा राजकोषीय नीति के साधनों का उपयुक्त रूप से उपयोग करना और घरेलू उपलब्धता तथा मूल्यों में नरमी लाने को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात-प्रतिबंधो आदि जैसे साधनों के माध्यम से निर्यात प्रबंधन; स्टॉक-सीमाएं अधिरोपित करने और जमाखोरों तथा चोर-बाजारी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए राज्यों को सलाह देना शामिल है। इसके अलावा, उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु उपयुक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करना शामिल है। सरकार भी स्कीमें क्रियान्वित कर रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त हस्तक्षेपों के माध्यम से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए समेकित

बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एम.एफ.एस.एम.) आदि तथा आलू जैसी कृषि-बागवानी वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव में नरमी लाने में सहायता प्रदान करने मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी.एस.एफ.) भी क्रियान्वित कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.एफ.पी.आई) टमाटर, प्याज और आलू (टी.ओ.पी.) मूल्य श्रृंखला के समेकित विकास के लिए ‘‘आपवेशन-ग्रीन्स’’ नामक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ टमाटर, प्याज और आलू, (टी.ओ.पी.) क्लसटर्स में उत्पादन योजना बनाने के माध्यम से उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण करने का है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य तथा उपलब्धता स्थिति पर पुनरीक्षा बैठकें उच्चतम स्तर पर आयोजित की जाती हैं। जिनमें मंत्रियों, सचिवों की समिति, अंतर-मंत्रालीय समिति, मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति के स्तर शामिल हैं और उपयुक्त मूल्य हस्तक्षेप निर्णय जिसमें संभव बाजार-हस्तक्षेप, यदि कोई हो, शामिल है, लेने के लिए अन्य विभागीय स्तर की पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

\*\*\*\*\*

‘आवश्यक वस्तुओं का मूल्य’ के संबंध में दिनांक 19.11.2019 के लोक सभा के आतारांकित प्रश्न संख्या 360 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निगरानी की जा रही 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं का अखिल भारतीय वार्षिक औसत खुदरा मूल्य

(इकाई: रु./कि.ग्रा. में)

वर्ष वस्तु	2016	2017	2018	2019 (13.11.2019 तक)
चावल	27.32	29.23	30.05	31.38
गेहूँ	23.57	23.90	24.20	26.60
आटा (गेहूँ)	25.16	26.24	26.43	28.12
चना दाल	90.78	87.28	66.47	65.89
तूर/अरहर दाल	131.72	84.02	71.07	80.55
उड़द दाल	136.95	92.35	70.83	74.37
मूँग दाल	94.55	77.57	73.46	80.10
मसूर दाल	82.75	70.32	61.29	62.61
मूँगफली तेल (पैकेबंद)	130.99	131.00	125.79	129.15
सरसों का तेल (पैकेबंद)	109.47	106.98	106.16	109.28
वनस्पति (पैकेबंद)	74.40	77.71	80.32	80.15
सोया तेल (पैकेबंद)	82.61	85.21	89.34	92.09
सूरजमुखी का तेल (पैकेबंद)	95.11	93.10	96.28	99.45
पाम तेल (पैकेबंद)	68.58	70.37	76.68	75.53
आलू	19.28	14.94	19.02	17.93
प्याज	16.79	22.41	23.64	24.68
टमाटर	26.01	32.32	21.82	31.02
चीनी	38.62	42.63	38.92	38.56

गुड़	42.02	44.72	43.11	43.93
दूध (रू./लीटर)	39.96	41.58	42.31	43.57
चाय खुली	199.02	202.76	209.19	211.84
नमक पैकबंद (आयोडीनयुक्त)	14.98	15.11	15.22	15.37

स्रोत: - राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

\*\*\*\*\*